

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/157
सं. पी सी-VI/2009/I/आरएसआरपी/2 पार्ट-II

आरबीई सं. 197/2009
नई दिल्ली, दिनांक: 05.11.2009

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: 01.01.2004 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों/अधिकारियों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बकाया की दूसरी किस्त रिलीज़ करना।

कृपया रेल मंत्रालय का 25.08.2009 का पत्र पीसी-VI/2009/I/आरएसआरपी/2 पार्ट-II (क्रम सं. पीसी-VI/135 तथा आरबीई सं. 150/2009) तथा 31.08.2009 का पत्र सं. 2004/एसी-II/21/1/वॉल्यूम-II (आरबीई सं. 42/2009) देखें जिनमें यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि 01.01.2004 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों/अधिकारियों को दूसरी किस्त प्रत्येक एनपीएस अंशदाता द्वारा वास्तविक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने पर रिलीज़ की जाएगी।


2. उपर्युक्त अनुदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे कि अंशदाता वास्तविक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें ताकि मूल आंकड़े यथा नाम, उम्र, जन्मतिथि, पता आदि एनएसडीएल द्वारा रखे गए पीआरएएन लेखा में अद्यतन किए जा सकें जिससे उनका पीआरएएन लेखा चालू हो सके। यह माना जाता है कि अब तक वास्तविक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा चुके होंगे।

3. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के कारण बकाया की दूसरी किस्त 01.01.2004 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों/अधिकारियों को सीधे रिलीज़ की जाए।

4. यदि कुछ ऐसे छुट-पुट मामले हैं जिनमें एनएसडीएल द्वारा अपेक्षित आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने शेष हैं, यह सुनिश्चित किया जाए कि ये 30 नवंबर, 2009 तक एनएसडीएल को भेज दिए जाएं।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त तथा लेखा निदेशालयों की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।




(यू.के. तिवारी)

उप निदेशक, वेतन आयोग-VI
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2009/I/आरएसआरपी/2 पार्ट-II

नई दिल्ली, दिनांक: 05.11.2009

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रतिलिपि अग्रेषित।


कृते वित्त आयुक्त, रेलें

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

S.No.PC-VI/157
No. PC-VI/2009/I/RSRP/2 Pt.II

RBE No.197/2009
New Delhi, dated 05.11.2009

The GMs/CAO(R),
All Indian Railways & Production Units
(as per mailing list)

**Sub: Release of 2nd installment of arrears of 6th CPC
recommendations to the post 1.1.2004 entrants.**

Please refer to Ministry of Railway's letters **No.PC-VI/2009/I/RSRP/2 Pt.II dated 25.08.2009** (S.No.PC-VI/135 & RBE No.150/2009) and No.2004/ACII/21/1/ Vol.II dated 31.08.2009(RBA No.42/2009) wherein it was stipulated that the 2nd installment in respect of post 1.1.2004 entrants will be subject to the filling up of Physical Registration Form by the individual NPS Subscriber.


2. Above instructions were issued to ensure that subscribers fill in the Physical Registration Form so that the basic data viz. Name, Age, Date of Birth, Address etc. are updated in PRAN Account maintained by NSDL so that their PRAN Account gets activated. It is presumed that Physical Registration Form would have been filled up by now.

3. The 2nd installment of arrears on account of implementation of revised pay scales on the recommendations of the Sixth Pay Commission may be released to all the post 1.1.2004 entrants straightaway.

4. In case there are any stray cases where data required by NSDL still remains to be obtained, it may be ensured that this may be sent to NSDL by 30th November,2009.

5. This issues with the concurrence of the Finance & Accounts Directorates of the Ministry of Railways.

6. Please acknowledge receipt.




(U.K. Tiwari)

Deputy Director, Pay Commission-VI,
Railway Board

No. PC-VI/2009/I/RSRP/2 Pt.II

New Delhi, dated 05.11.2009

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rai Bhavan, New Delhi (with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

.....2/-